Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर
स्यालीधार, अल्मोड़ा – 263601
ई–मेल – **cgrfalmora@gmail.com**

उपस्थिति

1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–भूपेन्द्र सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या – 73/2024–25

श्री एस0एस0एस0 पांगती
ग्राम नानासेम, सरमोली
तहसील मुनस्यारी, जिला पिथौरागढ़। परिवादी

बनाम्

विपक्षी

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड धारचूला
जिला पिथौरागढ़।

निर्णय

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके ग्राम सरमोली में एक कमरे के पुश्तैनी टिन सेट में विद्युत संयोजन संख्या DH6M601051576 स्व0 श्री भूपाल सिंह के नाम से दिनांक 16.06.1999 में निर्गत किया गया था जिसके सापेक्ष नियमित भुगतान किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि उन्हें दिनांक 14.10.2024 को ज्ञात हुआ कि विद्युत विभाग द्वारा उपरोक्त टिन सेट से मीटर एवं तार बिना कोई नोटिस दिए हटा दिए गए है, तथा उसी टिन सेट में श्री प्रवीण टोलिया के नाम अनाधिकृत तरीके से नया विद्युत संयोजन/मीटर लगा दिया गया है। उन्होने निवेदन किया है कि उन्हें बताया जाए कि किस आधार पर पहले से लगा मीटर व तार हटा कर नया कनेक्शन लगाया गया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 153 दिनांक 19.12.2024 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड धारचूला को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 28.12.2024 में, वादी की तरफ से श्री एस0एस0एस0 पांगती तथा विभाग की तरफ से श्री वी0के0 बिष्ट अधिशासी अभियंता धारचूला मय श्री बलवन्त चन्द लेखाकार उपस्थित हुए। वादी ने बताया कि उनके परिसर में विद्युत संयोजन संख्या DH6M601051576 उनके पिताजी स्व0 श्री भूपाल सिंह के नाम से दिनांक 16.06.1999 में निर्गत किया गया था, जिसके सापेक्ष नियमित भुगतान किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि उन्हें दिनांक 14.10.2024 को ज्ञात हुआ कि विद्युत विभाग द्वारा उपरोक्त टिन सेट से मीटर एवं तार बिना कोई नोटिस दिए हटा दिए गए है, तथा उसी टिन सेट में श्री प्रवीण टोलिया के नाम अनाधिकृत तरीके से नया विद्युत संयोजन/मीटर लगा दिया गया है। उन्होने निवेदन किया है कि उन्हें बताया जाए कि किस आधार पर पहले से लगा मीटर व तार हटा कर नया कनेक्शन लगाया गया है। विभाग का कहना है कि उनके रिकार्ड में अभी भी उपरोक्त संयोजन लाइव है, तथा बिल निर्गत किए जा रहे है। विभाग ने बताया कि एक श्री प्रवीण टोलिया द्वारा उसी खसरे में 24.02.2024 में आवश्यक धनराशि जमा करने के पश्चात् दिनांक 01.10.2024 को विभाग द्वारा नया संयोजन DH1M101415507 निर्गत किया है। यह नया संयोजन खसरा न0 25 में प्रवीण टोलिया द्वारा खसरा

वाद सं० 73/2024-25

गिरदावरी में 143 सेक्शन के अंतर्गत कृषक से अकृषक भूमि श्रेणि में परिवर्तित करने की प्रतिलिपी जमा करने, ग्राम प्रधान सरमोली के पत्र दिनांक 03.07.2024 तथा हल्द्वानी के पते पर बने आधार कार्ड के आधार पर निर्गत किया गया है। इस पर वादी का कहना था कि खसरा न0 25 में बहुत सारे रकबे है और श्री टोलिया ने अन्य रकबा दिखा कर नया संयोजन लिया है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि परिसर का स्थलीय निरिक्षण कर विस्तृत आख्या के साथ श्री प्रवीण टोलिया द्वारा दिए गए मालिकाना हक के दस्तावेजों के साथ अपनी आख्या प्रस्तुत करें। अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 13.01.2025 को नियत की गयी थी।

3 मंच की अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 13/28.01.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री वी0के0 बिष्ट अधिशासी अभियंता धारचूला मय श्री बलवन्त चन्द लेखाकार उपस्थित हुए। वादी से फोन पर संपर्क करने पर बताया गया कि उन्होंने मीटर चोरी की शिकायत पुलिस में कर दी है, और एफ आर आई की प्रतिलिपि शीघ्र ही मंच कार्यालय में भिजवा देगें। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि स्थलीय निरीक्षण के लिए उन्हें दो तीन दिन पहले सूचना दी जाए, ताकि उनको प्रतिनिधी भी निरीक्षण में शामिल हो सके। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह वादी को पूर्व सूचना देकर उनके साथ स्थलीय निरीक्षण करें तथा निरीक्षण रिर्पोट के साथ श्री प्रवीण टोलिया द्वारा नया संयोजन लेने के लिए दिए गए दस्तावेजों की प्रतिलिपियों के साथ विस्तृत आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करें।
अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 24.02.2025 को नियत की गयी थी।

4 मंच की अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 24.02.2025 में वादी की तरफ से उनके द्वारा दिये फोन न0 9411196109 पर सुनवाई की गयी विभाग की तरफ से श्री वी0के0 बिष्ट अधिशासी अभियंता धारचूला उपस्थित हुए। वादी ने बताया कि उन्होंने माननीय आयोग के माध्यम से एक शिकायत दर्ज की है जिसकी पुष्टि में विभाग ने बताया कि शिकायत की जांच परगना अधिकारी मुनस्यारी के समक्ष विचाराधीन है जिसकी रिर्पोट प्राप्त होने पर मंच के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी। अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 28.03.2025 को नियत की गयी थी जिसको बदल कर सुनवाई की तिथि दिनांक 30.03.2025 को अपराह्न 1.30 बजे उपभोक्ता शिकायत निवारण कैम्प मुनस्यारी में नियत की गयी थी तथा वादी एवं विभाग को सूचित कर दिया था।

5 मंच की अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 30.03.2025 में वादी की तरफ से श्रीमती नेहा पांगती, पुत्र वधु (वादी) तथा विभाग की तरफ से श्री गिरिश आर्या उपखण्ड अधिकारी उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि उनका मीटर विभाग के कहने पर होटल में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन सुनवाई में उपस्थित उपखण्ड अधिकारी ने इससे इन्कार किया। विभाग को कहा गया था कि दोनों पक्षकारों के संयोजन लेने से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां 15 दिन के अंदर मंच कार्यालय मे प्रेषित करें। अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 16.04.2025 को नियत की गयी थी।

6 वाद की अगली सुनवाई दिनांक 16.04.2025 में वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से की गयी। वादी की तरफ से श्री एस0एस0एस0 पांगती तथा श्री प्रवीण टोलिया तथा विभाग की तरफ से श्री बलवन्त चंद लेखाकार उपस्थित हुए। विभाग तथा वादी द्वारा प्रेषित दस्तावेजों का गहन परीक्षण किया गया, तथा संज्ञानित हुआ कि यह प्रकरण पहले अवर न्यायलय – आदेश दिनांक 15.01.2013, असिसटेंट कलेक्टर न्यायालय प्रथम श्रेणी मुनस्यारी तथा अपर आयुक्त कुंमायु मंडल नैनीताल द्वारा सुना गया है। विभाग द्वारा बताया गया है कि यह प्रकरण एस0डी0एम0कोर्ट में भी गया हुआ है। दस्तावेजों के परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि यह प्रकरण जमीन के रकबे खसरा न0 25 का एक भाग श्री प्रवीण टोलिया को बिना चौहदी के बेचे जाने से संबंधित है जिस पर श्री प्रवीण टोलिया को नया संयोजन दिया गया है जबकि वादी का कहना है कि जहां संयोजन दिया गया है, वह जमीन उनकी है। विभाग/शिकायतकर्ता को कहा गया था कि वह एक **Undertaking** मंच के समक्ष प्रस्तुत करें कि यह प्रकरण अद्यतन किसी अन्य कार्यालय/न्यायलय में विचाराधीन नहीं है। अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 02.05.2025 को नियत की गयी थी।

7 वाद की अगली सुनवाई दिनांक 02.05.2025 में वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से की गयी। वादी की तरफ से श्री एस0एस0एस0 पांगती तथा विभाग की तरफ से श्री बलवन्त चंद लेखाकार उपस्थित हुए। वादी ने बताया कि उनका विवाद एस0डी0एम0/ तहसीलदार मुनस्यारी के यहॉ सेक्शन 143 के तहत लम्बित है जिसके लिए वादी को

12/5/25

वाद सं० 73/2024.25

कहा गया था कि इस बारे में पूर्ण सूचना/Outcome मंच के समक्ष 15 दिन के अंदर भेजना सुनिश्चित करें। अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 19.05.2025 को नियत की गयी थी।

8 वाद की अगली सुनवाई दिनांक 19.05.2025 में वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से की गयी। वादी की तरफ से श्री एस0एस0एस0 पांगती तथा विभाग की तरफ से श्री बलवन्त चंद लेखाकार उपस्थित हुए। वादी ने बताया कि यह प्रकरण अभी भी SDM मुनस्यारी के समक्ष इनक्वारी के लिए विचाराधीन है और मंच इस प्रकरण को लम्बित रख सकता है।

9 मंच के समक्ष प्रेषित दस्तावेजों के परीक्षण, वादी तथा विभाग द्वारा प्रेषित आख्या का अवलोकन करने एवं स्थलिय निरिक्षण के के पश्चात् संज्ञान में आया है कि विभाग द्वारा प्रश्नगत भूमि पर श्री एस0एस0एस0 पांगती के नाम से कोई विद्युत संयोजन निर्गत नहीं किया गया है। उपरोक्त भूमि, जिस पर वर्तमान में एक टिन सेट निर्गत है, वहां विभाग द्वारा उपभोक्ता श्री भूपाल सिंह के नाम से संयोजन संख्या DH6M601051576 दिनांक 16.03.1999 से निर्गत है, जो कि वर्तमान तक संयोजित है तथा उक्त संयोजन को विच्छेदिन नहीं किया गया है।

10 श्री प्रवीण टोलिया पुत्र श्री हरिराम सिंह टोलिया द्वारा दिनांक 03.08.2024 को नये संयोजन हेतु आवेदन किया गया था जिसमें श्री टोलिया द्वारा निर्धारित प्रपत्र, खतोनी की नकल, ग्राम पंचायत सरमौली से प्रमाण पत्र तथा हल्द्वानी के पते पर बने आधार कार्ड एवं वांछित धनराशि जमा किए जाने के उपरान्त विभाग द्वारा दिनांक 01.10.2024 को उक्त परिसर पर संयोजन संख्या DH1M101415507 निर्गत किया गया है। मंच द्वारा दिनांक 30.03.2025 में स्थलीय निरीक्षण से संज्ञान में आया है कि टिन सेड में श्री भूपाल सिंह के नाम से निर्गत संयोजन संख्या DH6M601051576 को विगत में समीपवर्ती होटल में शिफ्ट कर लिया गया था जिसको वापस टिन सेड में स्थानांतरित किया गया है, जहां श्री प्रवीण टोलिया के नाम से दूसरा संयोजन संख्या DH1M101415507 निर्गत किया गया है। वर्तमान में दोनों संयोजन एक छोटे टिन सेड में स्थापित है। विभाग अवैध रूप से शिफ्ट किए गए संयोजन के सापेक्ष नियमानुसार किसी भी विभागीय कार्यवाही के लिए स्वतंत्र हैं।

आदेश

प्रकरण में प्रेषित दस्तावेजों, स्थलीय निरीक्षण, सुनवाई में वादी तथा विभाग द्वारा दिए गए कथन तथा प्रेषित आख्या के गहन परीक्षण के पश्चात् संज्ञान में आया है कि ग्राम सरमोली, तहसील मुनस्यारी के तत्कालीन खाता सं0 25 में सहखातेदार श्री हीरा सिंह पुत्र श्री महीमन सिंह द्वारा अपने हक हिस्से की 8 नाली 5 मुट्ठी जमीन श्री प्रवीण सिंह टोलिया को विक्रय पत्र दिनांक 10.10.2011के द्वारा बेची गयी थी। इस विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही के दौरान वादी द्वारा दिनांक 15.12.2011 को आपत्ति की गयी, जिसको न्यायालय तहसीलदार द्वारा दिनांक 15.01.2013 को क्रेता के पक्ष में नामांतरण के आदेश किए गए जिसके विरूद्ध अपील दायर की गयी जिसको दिनांक 06.06.2013 को अस्वीकार किया गया, जिसकी सुनवाई न्यायालय अपर आयुक्त कुंमायु मंडल नैनीताल में की गयी जिसको दिनांक 31.03.2015 को निस्तारित किया गया। खसरा न0 25 में से एक सहखातेदार द्वारा बिना चौहदी किए भूमि का एक हिस्सा श्री प्रवीण टोलिया को बेचा गया जहां विभाग द्वारा नया संयोजन दिया गया है। वादी द्वारा बताया गया है यह प्रकरण अद्यतन SDM मुनस्यारी कोर्ट में लम्बित है। अतः मंच द्वारा ऐसी परिस्थती में कोई अंतिम आदेश पारित करना संभव नहीं है। विभाग अपने स्तर पर संयोजन संख्या DH6M601051576 के अवैध रूप से शिफ्टिंग के विरूद्व विभागीय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। वादी SDM मुनस्यारी की रिर्पोट की Outcome के आधार पर, यदि वादी चाहें, तो नया वाद मंच के समक्ष दायर कर सकते है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

12/5/25

वाद सं0 73/2024-25

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतु नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपी कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो

दिनांक – 19.05.2025

19/05/25

भूपेन्द्र सिंह बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

19/5/25

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

चामू सिंह गस्याल
न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर
स्यालीधार, अल्मोड़ा – 263601
ई–मेल – **cgrfalmora@gmail.com**

उपस्थिति

1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–भूपेन्द्र सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या – 90/2024–25

श्री तेज सिंह बाफिला
बेरीनाग (गणेश चौक)
पो0 ऑ0 बेरीनाग
जिला पिथौरागढ़।

परिवादी

बनाम्

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड धारचूला
जिला पिथौरागढ़।

विपक्षी

निर्णय

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके संयोजन संख्या **PT18195051154** के सापेक्ष अगस्त 2024 से ज्यादा बिल आ रहा है, जबकि उनके परिसर पर 5 बल्ब जलते है। उन्होंने बिल को ठीक करवाने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 03 दिनांक 05.04.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़ को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 16.04.2025 में वादी की तरफ से श्री तेज सिंह बाफिला तथा विभाग की तरफ से उपखण्ड अधिकारी बेरीनाग उपस्थित हुए। उन्होंने आख्या प्रेषित करने के लिए समय की मांग की, जिसे मंच द्वारा स्वीकार किया गया। अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 02.05.025 नियत की गयी थी।

3 मंच की अंतिम सुनवाई दिनांक 02.05.2025 को V/C के माध्यम से की गयी। वादी की तरफ से श्री तेज सिंह बाफिल तथा विभाग की तरफ से श्री आयुष चंद उपखण्ड अधिकारी उपस्थित हुए। वादी को बताया गया कि उनके तीन बिलिंग चक्र के विद्युत उपभोग के आधार पर वादी का विद्युत भार 1 kw से 3 kw बढ़ाया गया है। उनको बताया गया कि अगर उनका लोड आगामी तीन बिलिंग चक्र में विद्युत उपभोग के आधार पर कम पाया जाता है तो तद्नुसार उनके आवेदन करने पर विद्युत भार कम कर दिया जाएगा।

परिवाद संख्या – 90/2024–25

आदेश

विभाग द्वारा वादी का विद्युत भार 3 बिलिंग चक्र के विद्युत उपभोग के आधार पर 1 kw से 3 kw किया गया है। उनको बताया गया कि अगर उनका लोड आगामी तीन बिलिंग चक्र में विद्युत उपभोग के आधार पर कम पाया जाता है तो तद्नुसार उनके आवेदन करने पर विद्युत भार कम कर दिया जाएगा।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 02.05.2025

02/05/2025

भूपेन्द्र सिंह बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

चामू सिंह गर्स्याल
न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर
स्यालीधार, अल्मोड़ा – 263601
ई–मेल – **cgrfalmora@gmail.com**

उपस्थिति

1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–भूपेन्द्र सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या – 226/2025

श्रीमती मीनाक्षी देवी
ग्राम फल्द्वाडी, पो0ओ0 अम्याडी
तहसील रानीखेत
जिला अल्मोड़ा। परिवादी

बनाम्

अधिशासी अभियंता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड रानीखेत
जिला अल्मोड़ा।

निर्णय

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके संयोजन संख्या **RN2CA02914782** के सापेक्ष रू0 217560 को बिल प्राप्त हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा है और वह एक **BPL** उपभोक्ता है। उन्होंने बिल को ठीक करवाने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 779 दिनांक 05.02.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड रानीखेत को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 27.02.2025 में वादी की तरफ से श्रीमती मीनाक्षी देवी तथा विभाग की तरफ से श्री आयुष चौहान उपखण्ड अधिकारी उपस्थित हुए। वादी ने बताया कि विगत में उनका बिल रू0 200–400 प्रतिमाह आता था जो कि अचानक फरवरी 2025 में बढ़कर रू0 217380 प्राप्त हुआ है जो कि .04 kw **BPL** उपभोक्ता के लिए असंभव है। विभाग ने बताया कि वादी के परिसर पर मार्च 2024 में चैक मीटर लगाया गया था, जिसकी तुलना करने पर मैन मीटर सही पाया गया था, परन्तु इससे मीटर की सत्यता की पूरी जांच नहीं हो पाती है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि मीटर की **MRI** की रिर्पोट के साथ विस्तृत आख्या 10 दिन के अंदर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 17.03.025 नियत की गयी थी।

3 मंच की सुनवाई दिनांक 17.03.2025, 26.03.2025.27.03.2025 में वादी की तरफ से सुश्री तनीषा (पुत्री वादी) तथा विभाग की तरफ से श्री आयुष चौहान उपखण्ड अधिकारी उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि विभागीय स्तर पर मीटर की **MRI** नहीं हो पा रही है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह मीटर मेक कंपनी **L&T** से **MRI** कराकर रिर्पोट मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। विभाग को यह भी निर्देशित किया गया था कि वादी के परिसर का स्थलीय निरिक्षण कर विद्युत भार सहित रिर्पोट मंच के समक्ष उपलब्ध कराएं। वादी को कहा गया था कि वह

प्राविजनली 5000 हजार रू0 बिल के सापेक्ष 7 दिन के अंदर भुगतान करें। अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 16.04.2025 नियत की गयी थी।

4.मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 16.04.2025 / 02.05.2025 में विभाग ने बताया कि वादी के परिसर के स्थलीय निरीक्षण में कुल भार मात्र 0.171 KW पाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि अभी मीटर की MRI नही हो पायी है। मंच की अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 19.05.2025 नियत की गयी थी।

5.मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 19.05.2025 में विभाग की तरफ से उपस्थित श्री आयुष चौहान उपखण्ड अधिकारी ने बताया कि मीटर की MRI संभव नहीं हो पा रही है। वादी के संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री का निरीक्षण करने पर सज्ञानित हुआ है कि जून 2022 से पहले वादी का बिल अधिकांश 2 अंकों की रीडिंग में आता रहा है जबकि अप्रैल 2023 की बिलिंग चक्र में वादी का विद्युत उपभोग 17306 यूनिट रिकॉर्ड किया गया है जो कि .04 kw BPL उपभोक्ता के लिए सही प्रतीत नहीं हो रहा है।

आदेश

विभाग द्वारा किए गये स्थलीय निरीक्षण में वादी का विद्युत भार मात्र 0.171 kw पाया गया है जिसमें से सिर्फ 1 टीवी तथा 2 बल्ब क्रियाशील थे। मीटर की MRI भी संभव नहीं हो पा रही है। ऐसी परिस्थिती में विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वादी के मीटर को बदल दिया जाए तथा बदले गये मीटर के 6 माह के विद्युत उपभोग के आधार पर तथा मौसमी प्रभाव को देखते हुए, 6 माह बाद, 15 दिन के अंदर संशोधित बिल वादी को उपलब्ध कराएं तत्पश्चात् 10 दिन के अंदर मंच के समक्ष उपरोक्त पर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। वादी को उनके द्वारा दिए गए फोन न0 9410159995 पर बात कर उक्त से अवगत करा दिया गया है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन / अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 19.05.2025

भूपेन्द्र सिंह बिष्ट	ओ0पी0 दीक्षित	चामू सिंह गस्याल
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य	न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर
स्यालीधार, अल्मोड़ा – 263601
ई–मेल – **cgrfalmora@gmail.com**

उपस्थिति

1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–भूपेन्द्र सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या – 227/2025

श्रीमती बसंती देवी पुत्री श्री जोगेन्द्रर सिंह
ग्राम सुवाघोल, कफलगांव, सरीखेत, भिकिंयासैंण
जिला अल्मोड़ा। परिवादी

बनाम्

अधिशासी अभियंता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड भिकिंयासैण
जिला अल्मोड़ा।

निर्णय

1 वादी ने अपनी शिकायत, जो कि UPCL Costomer care के माध्यम से मंच कार्यालय में हस्ताक्षर रहित प्राप्त हुई है, में बताया है कि उनके संयोजन संख्या BK15111950164 के सापेक्ष उन्हें पिछले 5 साल से कोई बिल निर्गत नहीं हुआ है, परन्तु एकाएक रू0 14595 का बिल प्राप्त हुआ।
प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 783 दिनांक 06.02.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड भिकिंयासैण को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 27.02.2025, 17.03.2025, 26.03.2025 तथा 16.04.2025 में वादी एवं विभाग की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही विभाग की तरफ से कोई आख्या प्राप्त हुई, जबकि उभयपक्षों को मंच के पत्रों द्वारा ससमय सूचित किया गया था। मंच की अगली सुनवाई तिथि दिनांक 02.05.2025 नियत की गयी थी।

3 मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 02.05.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री अरूण कुमार उपखण्ड अधिकारी ने बताया कि वादी के बिल विगत में NA/NR पर निर्गत किए गए थे जिसको वर्तमान रीडिंग 1501 के आधार पर संशोधित कर दिया गया है और संशोधित बिल रू0 14594 वादी को निर्गत किया गया है जो सही है और देय है। वादी का पक्ष जानने के लिए अगली सुनवाई की तिथि 19.05.2025 नियत की गयी थी।

4 मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 19.05.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। वादी से उनके द्वारा दिए गए फोन न0 813097874 पर बात की गयी जिसको उनके रिश्तेदार श्री बीरेन्द्र सिंह ने उठाया।

19/5/25

उनको अवगत कराया गया है कि उनका निर्गत बिल 14594 रू0 **NA/NR** से संशोधित होकर बना है जो सही है और देय है।

आदेश

विभाग द्वारा वादी का बिल **NA\NR** से संशोधित होकर रू0 14594 का निर्गत किया गया है जो सही है और देय है। वादी को उक्त से फोन पर अवगत करा दिया गया है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 19.05.2025

भूपेन्द्र सिंह बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित 19/5/25
तकनीकी सदस्य

चामू सिंह गर्स्याल
न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर
स्यालीधार, अल्मोड़ा – 263601
ई–मेल – **cgrfalmora@gmail.com**

उपस्थिति

1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–भूपेन्द्र सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या – 230 / 2025

श्री निकेत जोशी
निवासी 438, खड़ी बाजार
तहसील रानीखेत
जिला अल्मोड़ा।

परिवादी

बनाम्

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड रानीखेत
जिला अल्मोड़ा।

विपक्षी

निर्णय

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके संयोजन संख्या RN21162000252 के सापेक्ष दिनांक 14.02.2025 को रू0 18567 को भुगतान किया गया था जबकि उन्हें दूसरा बिल 29879 रीडिंग का रू0 151854 प्राप्त हुआ है। उन्होंने बिल को ठीक करवाने के लिए निवेदन किया है।
प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 806 दिनांक 04.03.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड रानीखेत को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 17.03.2025 में वादी की तरफ से श्री निकेत जोशी तथा विभाग की तरफ से श्री आयुष चौहान उपखण्ड अधिकारी उपस्थित हुए। वादी ने बताया कि उन्होंने 14.02.2025 को ऑनलाइन माध्यम से रू0 18567 का भुगतान किया था लेकिन इसके पश्चात् उन्हें रू0 151854 का नोटिस प्राप्त हुआ है जो कि गलत है। विभाग द्वारा बताया गया कि यह बिल कम रीडिंग लिए जाने के कारण डम्प रीडिंग का प्रतीत होता है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री के साथ स्थलीय निरीक्षण कर विस्तृत आख्या अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 26.03.2025 के पहले प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

3 मंच की सुनवाई तिथि दिनां 26.03.2025 में विभाग की तरफ से उपस्थित श्री आयुष चौहान उपखण्ड अधिकारी ने बताया कि वादी के परिसर के स्थलीय निरीक्षण में स्वीकृत भार 3 kw के सापेक्ष कनेक्टेड भार 5.8 kw पाया गया है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह डम्प रीडिंग को संबंधीत अवधी में वितरीत कर तथा तत्कालीन टैरीफ स्लैब का लाभ देते हुए संशोधित बिल मंच की अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 16.04.2025 से पहले मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

4.मंच की अगली सुनवाई तिथि दिनांक 16.04.2025/02.05.2025 में वादी की तरफ से श्री निकेत जोशी तथा विभाग की तरफ से श्री आयुष चौहान उपखण्ड अधिकारी उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि वादी का बिल संशोधित होकर रू0 151854 से रू0 94037.27 का बनता है। वादी ने बताया मई 2024 में एक दिन बहुत तेज आधी तूफान आया था जिसमें वज्र पात की वजह से उनके घर का टी0वी, फ्रिज, लेपटॉप खराब हो गये थे। उनका कहना है कि इस वज्रपात की वजह से उनके मीटर की रीडिंग जम्प हुई है जिसके लिए उन्होंने MRI करवाने के लिए निवेदन किया है। बिलिंग हिस्ट्री देखने पर यह संज्ञानित हुआ है कि वादी का विद्युत उपभोग वज्र पात से पहले और वाद में समान है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह मीटर की दिनांक 01.04.2024 से 31.05.2024 तक की MRI कराकर रिर्पोट के साथ विस्तृत आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। विभाग ने जून 2024 से MRI रिर्पोट प्रस्तुत की है जबकि वादी का कहना है कि उनके बिल का निरीक्षण मई 2024—वज्रपात का दिन, से करने की जरूरत है। मंच की अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 19.05.2025 नियत की गयी थी।

5.मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 19.05.2025 में विभाग की तरफ से उपस्थित श्री आयुष चौहान उपखण्ड अधिकारी ने बताया कि वादी के मीटर की जून 2024 से पहले की MRI करने की कोशिश की गयी, परन्तु MRI संभव नहीं हो पायी है। वादी का कहना है कि विभाग द्वारा वादी के बिल जून 2020 से रीडिंग आधारित निर्गत किए गये थे, जिनका भुगतान किया जाता रहा है। विभाग का मानना है कि विगत में L&T मेक मीटर में, विद्युत वितरण खण्ड अल्मोंड़ा में, MRI करने पर मीटर में रीडिंग जम्प की शिकायतें आती रही है।

आदेश

विभाग द्वारा जून 2024 से पहले की MRI करना संभव नहीं हो पा रही है जिससे ज्ञात हो सके कि वादी के कथानुसार मई 2024 में वज्रपात की वजह से मीटर रीडिंग जम्प हुई है। ऐसी परिस्थिती में उभयपक्षों की सहमति से यह उचित होगा कि मीटर के आगामी 9 महीने के विद्युत उपभोग के आधार पर तथा मौसमी प्रभाव को देखते हुए बिल का संशोधन किया जाए। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि 9 महीने पश्चात्, 15 दिन के अंदर संशोधित बिल वादी को उपलब्ध कराएं तत्पश्चात् 10 दिन के अंदर मंच के समक्ष उपरोक्त पर अनुपालन आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करें। वादी को कहा जाता है कि वह प्रोविजनली लम्बित बिल का 30 हजार रू0 तीन दिन के अंदर भुगतान करें तत्पश्चात् प्रतिमाह मीटर रीडिंग के आधार पर, बिल संशोधन होने तक, बिल का भुगतान करते रहे।
उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 19.05.2025

भूपेन्द्र सिंह बिष्ट **उपभोक्ता सदस्य**	**ओ0पी0 दीक्षित** **तकनीकी सदस्य**	**चामू सिंह गर्स्याल** **न्यायिक सदस्य**

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर
स्यालीधार, अल्मोड़ा – 263601
ई–मेल – **cgrfalmora@gmail.com**

उपस्थिति

1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–भूपेन्द्र सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या – 233/2025

श्रीमती उदिमा देवी पत्नी स्व0 श्री खुशाल सिंह
ग्राम – कलोडी, पो0 ओ0 – बनलेख
जिला बागेश्वर — परिवादी

बनाम्

अधिशासी अभियंता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड बागेश्वर
जिला बागेश्वर।

निर्णय

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके संयोजन संख्या BG2K232035520 के सापेक्ष उनका बिल विगत में रू0 230 – 242 (दो माह) का आता था जो एकाएक बढकर रू0 41955 का प्राप्त हुआ है। उन्होंने बिल को ठीक करवाने के लिए निवेदन किया है।
प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 809 दिनांक 06.03.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड बागेश्वर को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 17.03.2025 तथा 26.03.2025 में वादी एवं विभाग की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही विभाग की तरफ से कोई आख्या प्राप्त हुई, जबकि उभयपक्षों को मंच के पत्रों द्वारा ससमय सूचित किया गया था। मंच की अगली सुनवाई तिथि दिनांक 16.04.2025 नियत की गयी थी।

3 मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 16.04.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित सुश्री पूजा पंत सहायक अभियंता राजस्व ने बताया कि वादी का बिल नये मीटर की वर्तमान रीडिंग 0027 के आधार पर संशोधित होकर रू0 41955 से रू0 5075 बना है। उन्होंने यह भी बताया कि वादी द्वारा मई 2023 से बिल का भुगतान नहीं किया गया है। वादी का पक्ष जानने के लिए अगली सुनवाई की तिथि 02.05.2025 नियत की गयी थी।

4 मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 02.05.2025 में वादी तथा विभाग की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। वादी को अंतिम अवसर देते हुए अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 19.05.2025 नियत की गयी थी।

5 मंच की अतिम सुनवाई तिथि दिनांक 19.05.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। वादी से उनके द्वारा दिए गए फोन न0 7539087344 पर बात की गयी और उक्त से अवगत कराया गया, जिस पर वादी ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की है।

आदेश

विभाग द्वारा वादी का बिल नये मीटर रीडिंग के आधार पर संशोधित कर दिया गया है और वर्तमान में संशोधित बिल रू0 41955 से संशोधित होकर रू0 5075 बना है, जिस पर वादी ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की है। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह वादी को संशोधित बिल 10 दिन के अंदर उपलब्ध कराएं जिसे वादी द्वारा 15 दिन के अंदर जमा किया जाएगा।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 19.05.2025

भूपेन्द्र सिंह बिष्ट	ओ0पी0 दीक्षित	चामू सिंह गर्स्याल
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य	न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर
स्यालीधार, अल्मोड़ा – 263601
ई–मेल – cgrfalmora@gmail.com

उपस्थिति

1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–भूपेन्द्र सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या – 223/2025

श्रीमती पद्मा देवी c/o श्री दलीप रावत
ग्राम – भटकोट, सकाले, मासी भिकियासैण
जिला अल्मोड़ा

परिवादी

बनाम्

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड भिकियासैण
जिला अल्मोड़ा।

विपक्षी

निर्णय

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके संयोजन संख्या BK2MM22062809 के सापेक्ष वर्ष 2018 से वर्ष 2025 तक कोई बिल प्राप्त नहीं हुआ है और वर्तमान में मीटर लगने से अद्यतन रीडिंग 14 यूनिट है। उन्होंने बताया कि उन्हें एकाएक रू0 8232 का बिल प्राप्त हुआ है जिसके भुगतान के लिए UPCL प्रतिनिधी श्री अरूण कुमार दवाब डाल रहे है। उन्होंने बिल को ठीक करवाने के लिए निवेदन किया है।
प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 778 दिनांक 05.02.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड भिकियासैण को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 27.02.2025, 17.03.2025 26.03.2025 तथा 16.04.2025 में वादी एवं विभाग की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही विभाग की तरफ से कोई आख्या प्राप्त हुई, जबकि उभयपक्षों को मंच के पत्रों द्वारा ससमय सूचित किया गया था। मंच की अगली सुनवाई तिथि दिनांक 02.05.2025 नियत की गयी थी।

3 मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 02.05.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री अरूण कुमार उपखण्ड अधिकारी ने बताया कि वादी के बिल विगत में NA/NR के आधार पर निर्गत किए गए थे जो रू0 22279 से संशोधित होकर वर्तमान में 14 यूनिट रीडिंग पर रू0 8052 बना है, जो सही है व देय है। वादी का पक्ष जानने के लिए अगली सुनवाई की तिथि 19.05.2025 नियत की गयी थी।

मंच की अतिम सुनवाई तिथि दिनांक 19.05.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। वादी से उनके द्वारा दि गए फोन न0 9312926915 पर बात करने की कोशिश की गयी परन्तु वादी ने फोन नहीं उठाया।

आदेश

विभाग द्वारा वादी का बिल NA/NR से वर्तमान मीटर रीडिंग के आधार पर संशोधित कर दिया गया है और वर्तमान में संशोधित बिल रू0 22279 से संशोधित होकर रू0 8052 बना है जो सही है व देय है। वादी का पक्ष जानने के लिए उनके द्वारा दिए गए फोन न0 9312926915 पर बात करने की कोशिश की गयी परन्तु वादी ने फोन नहीं उठाया।

विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह वादी को संशोधित बिल 10 दिन के अंदर उपलब्ध कराएं जिसे वादी द्वारा 15 दिन के अंदर जमा किया जाएगा।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 19.05.2025

भूपेन्द्र सिंह बिष्ट	ओ0पी0 दीक्षित	चामू सिंह गस्याल
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य	न्यायिक सदस्य